



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229040
CG-DL-E-16082021-229040

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]
No. 461]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SRAVANA 25, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 573(अ).—केन्द्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 में,-

नियम 2 में, खण्ड “i” और “ii” को क्रमशः खण्ड “(i)” और “(ii)” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित किए गए खण्ड (ii) में, “तारीख 1.1.2006 के प्रभाव से 12,000 रुपये के अतिरिक्त ग्रेड वेतन सहित 37,400-67,000 रुपये” अक्षर, अंकों और शब्दों के स्थान पर “ग्रेड वेतन सहित [67,000 रुपये (तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79,000] के वेतन बैंड/स्केल उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) में मासिक वेतन” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5-8/3/2017-बीबीएमबी]

तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 1330 तारीख 14 दिसम्बर, 1974 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे:-

सा.का.नि. 1709, तारीख 4 दिसम्बर, 1976;

सा.का.नि. 749, तारीख 18 जून, 1977;

सा.का.नि. 556, तारीख 29 अप्रैल, 1978;

सा.का.नि. 1221, तारीख 7 अक्तूबर, 1978;

सा.का.नि. 454, तारीख 24 मार्च, 1979;

सा.का.नि. 114, तारीख 26 जनवरी, 1980;

सा.का.नि. 478, तारीख 16 मई, 1981;

सा.का.नि. 38, तारीख 26 दिसम्बर, 1984;

सा.का.नि. 821, तारीख 31 अगस्त, 1985;

सा.का.नि. 664, तारीख 14 अगस्त, 1987;

सा.का.नि. 576, तारीख 6 जुलाई, 1989;

सा.का.नि. 322, तारीख 28 जून, 1990;

सा.का.नि. 148, तारीख 1 मार्च, 2000;

सा.का.नि. 362, तारीख 5 अक्तूबर, 2005;

सा.का.नि. 107, तारीख 6 जुलाई, 2009;

सा.का.नि. 90, तारीख 19 मई, 2010;

सा.का.नि. 178, तारीख 1 अक्तूबर, 2010;

सा.का.नि. 200, तारीख 19 अक्तूबर, 2015;

सा.का.नि. 956(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2015;

सा.का.नि. 503(अ), तारीख 19 मई, 2017;

सा.का.नि. 1159(अ), तारीख 30 अगस्त, 2017;

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2021

G.S.R. 573(E).— In exercise of the powers conferred by section 97 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Bhakra Beas Management Board (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974,

In rule 2, clauses "i." and "ii." shall be renumbered as clauses "(i)" and "(ii)" respectively and in clause (ii) as so renumbered, for the letters, figures and words "Rs. 37,400-67,000 with addl. Grade pay of Rs.12,000 w.e.f. 1.1.2006", the words, brackets, letters and figures "monthly salary in the Pay Band/Scale Higher Administrative Grade (HAG) of [Rs.67,000 (annual increment at the rate of three percent)-79000] with no grade pay" shall be substituted.

[F. No. 5-8/3/2017-BBMB]

TANMAY KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1330, dated the 14th December, 1974 and subsequently amended *vide* notification numbers: -

G.S.R. 1709, dated the 4th December, 1976;
G.S.R. 749, dated the 18th June, 1977;
G.S.R. 556, dated the 29th April, 1978;
G.S.R. 1221, dated the 7th October, 1978;
G.S.R. 454, dated the 24th March, 1979;
G.S.R. 114, dated the 26th January, 1980;
G.S.R. 478, dated the 16th May, 1981;
G.S.R. 38, dated the 26th December, 1984;
G.S.R. 821, dated the 31st August, 1985;
G.S.R. 664, dated the 14th August, 1987;
G.S.R. 576, dated the 6th July, 1989;
G.S.R. 322, dated the 28th June, 1990;
G.S.R. 148, dated the 1st March, 2000;
G.S.R. 362, dated the 5th October, 2005;
G.S.R. 107, dated the 6th July, 2009;
G.S.R. 90, dated the 19th May, 2010;
G.S.R. 178, dated the 1st October, 2010;
G.S.R. 200, dated the 19th October, 2015;
G.S.R. 956(E), dated the 11th December, 2015;
G.S.R. 503(E), dated the 19th May, 2017;
G.S.R. 1159(E), dated the 30th August, 2017.